पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयीय दिशासूचकों के प्रति हितधारकों की जागरूकता एवं संवेदीकरण का अध्ययन

(POCSO ADHINIYAM KE ANTARGAT VIDYALYIY DISHASOOCHAKON KE PRATI HITDHARKON KI JAGROOKTA EVAM SAMVEDIKARAN KA ADHYYAN)

पी.एच.डी. (शिक्षा) उपाधि
हेतु प्रस्तुत शोध प्रस्ताव
2020

शोध निर्देशक
प्रोफेसर रंजीत कौर

शोधार्थी
चेतना जठोल

शिक्षा विभाग
चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय
सिरसा, हरियाणा

प्रस्तावना

विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को तथा यूनिसेफ़ द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का हर दूसरा बच्चा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा यौन हिंसा से प्रभावित हो रहा है। एक आंकड़े के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष बच्चों के साथ यौन अपराध के लगभग 3,000,000 केस दर्ज किए जाते हैं, जिनमे से लगभग 9,00,000 केसों की पुष्टि होती है। इसका अर्थ यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक 35 सेकंड में एक बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है (चिल्ड्रेन डिफेंस फ़ंड, 2010, यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ हैल्थ एंड ह्यूमन सर्विसज, 2007)। विश्व में बाल यौन उत्पीड़न सामग्री को ऑनलाइन अपलोड करने में भारत 11.7 प्रतिशत रिपोर्ट्स के साथ सबसे पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2018 में भारत में हर दिन 109 बच्चे यौन प्रताड्ना के शिकार होते हैं और इन अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। भारत का हर दूसरा बच्चा अट्ठारह वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुका होता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यौन उत्पीड़न करने वाले लोगों में 90 प्रतिशत अपराधी बच्चे के जानने वाले लोग होते हैं। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि लॉकडाउन के पहले ग्यारह दिनों में ही महिला तथा बाल कल्याण मंत्रालय के बाल हेल्पलाइन नंबर 1098 पर तीन लाख फोन आए जिनमें से 92,105 फोन बच्चों पर हुई हिंसा तथा यौन प्रताड्ना से संबन्धित थे।

बच्चों के साथ होने वाला यौन अपराध उसके सम्पूर्ण विकास को प्रभावित करता है। बच्चे के जन्म के बाद उसकी वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में सबसे पहले हम परिवार की भूमिका मानते हैं और उसके बाद विद्यालय को भी एक अहम स्थान देते हैं। वैसे तो बच्चों के विकास को गरीबी, बाल श्रम, कुपोषण, मारपीट आदि अनेक कारक प्रभावित करते हैं लेकिन बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं वैयक्तिक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव देश के वर्तमान के साथ-साथ भविष्य पर भी पड़ता है। इस समस्या के निवारण के लिए वैसे तो समय-समय पर कई कानूनी प्रावधान किए गए, लेकिन बच्चों के प्रति बढ़ रहे यौन अपराध एवं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर 2012 में पोक्सो अधिनियम लागू किया गया। पोक्सो अधिनियम को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिये लागू किया गया था। इस अधिनियम में 'बालक' को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और यह बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिये हर चरण को ज़्यादा महत्त्व देते हुए बच्चे के श्रेष्ठ हितों और कल्याण का सम्मान करता है।

ऐसा कई बार देखा गया है की बच्चा जो बात अपने घर के सदस्यों से नहीं कह पता वह अपने शिक्षक से बेझिझक कह देता है। कई बार ऐसी घटनाएँ सामने आई हैं जब बच्चे ने अपने घर के किसी सदस्य द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न की बात अपने शिक्षक के साथ सांझा की है। ऐसे में यह अति आवश्यक हो जाता है कि शिक्षकों में इन घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जाए ताकि वह बच्चे की उचित सहायता और मार्गदर्शन कर सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने 2015 में विद्यालयों के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के मद्देनजर विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी हितधारकों को यौन उत्पीड़न तथा इससे संबन्धित अधिनियम पोक्सो के विषय में जागरूक किया जाना अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय न केवल शिक्षकों को बल्कि बच्चे तथा उसके माता-पिता को भी यौन उत्पीड़न रोकने एवं बाल सुरक्षा के विभिन्न उपायों से अवगत करवाए।

संबन्धित साहित्य का पुनरावलोकन

प्रति वर्ष लगभग एक अरब बच्चे किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होते हैं। हिंसा बच्चे के जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है तथा लंबे समय तक बच्चे को इसके सामाजिक तथा संवेगात्मक नुकसान भुगतने पड़ते है (डब्ल्यू.एच.ओ., 2020)। भारत में 2017 में जहां 32,608 यौन हिंसा के केस दर्ज किए गए वहीं 2018 में यह संख्या बढ़कर 39,827 हो गयी। 2008-2018 की समय अवधि में बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में छह गुणा वृद्धि हुई है (एन.सी.आर.बी.,2020)। बात यदि यौन अपराधों की करें तो इन अपराधों का पता लगाना या इन मामलों में किसी प्रकार की सहायता प्रदान करना बहुत ही मुश्किल कार्य है क्योंकि ऐसे नब्बे प्रतिशत अपराध बच्चे के विश्वास पात्र या जानकार व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं (भारती, 2020)। भारत में एक अन्य समस्या यह है कि यौन अपराधों के विषय में बात करने में अधिकतर लोग सकुचाते हैं तथा माता-पिता को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस बारे में अपने बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए। उचित ज्ञान तथा मार्गदर्शन की कमी के कारण हमारे देश के बहुत से बच्चे यौन हिंसा के शिकार हो जाते हैं (एन.आई.पी.सी.डी.,2015)।

शोध की आवश्यकता

शोध कथन से संबन्धित साहित्य अवलोकन से पता चलता है कि इस क्षेत्र में ज्यादा शोध कार्य अधिनियम के कानूनी पक्ष को लेकर किए गए हैं। बच्चे के साथ यौन शोषण होने के बाद कानूनी प्रक्रिया पर तो शोध कार्यों की भरमार है लेकिन इससे पूर्व बच्चे के पारिवारिक एवं विद्यालयीय वातावरण में इस अधिनियम की जागरूकता एवं संवेदनशीलता पर शोध कार्य लगभग न के बराबर हैं। इसके अतिरिक्त यहां यह पक्ष भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह विषय केवल विधि अथवा कानून से ही संबन्धित नहीं है बल्कि अन्य विषयों के साथ भी उतना ही जुड़ा हुआ है। शिक्षा के साथ इसकी संबद्धता का अनुमान आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि वर्ष 2015 में भारत के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विद्यालयों के लिए विस्तृत

दिशानिर्देश जारी किए हैं। बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं बौद्धिक विकास शैशवावस्था से चलकर बाल्यकाल से होते हुए किशोरावस्था तक अपने परिपक्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है और यही वो समय है जब वह विद्यालयीय शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है। प्रस्तुत शोध में विद्यालयीय शिक्षा से जुड़े विभिन्न हितधारकों की पोक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता एवं संवेदीकरण को केन्द्र में रखा गया है। यह अध्ययन पोक्सो अधिनियम की कानूनी प्रक्रिया से पूर्व स्थिति को जानने में एक समझ विकसित करेगा।

प्रस्तुत शोध क्षेत्र में इस प्रकार के गुणात्मक एवं सूक्ष्म स्तर पर किए गए शोध कार्यों की भारी कमी को देखते हुए इस प्रकार के शोध कार्य करने आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध कार्य में विद्यालयीय शिक्षा के विभिन्न हितधारकों विद्यार्थी, अध्यापक, अभिभावक, विद्यालय मुखिया आदि को शामिल किया जाएगा, जिससे विषय की विस्तृत विवेचना संभव हो। समाज में इस विषय पर चर्चा आम जनमानस के लिए आज भी इतनी सहज नहीं है और उपरोक्त हितधारकों के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए उनकी जागरूकता एवं संवेदनशीलता को जानना बेहद जरूरी है, इसीलिए ऐसे शोध कार्य करने की आवश्यकता है। शोध कार्य यह जानने का भी प्रयास करेगा कि पोक्सो अधिनयम के 2012 में लागू होने और वर्ष 2015 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा विद्यालयों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने के बावजूद जमीनी स्तर पर क्या परिवर्तन आए हैं। शोधकर्ता के द्वारा शोध के अंत में प्राप्त परिणामों के आधार पर सुझाव भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान से देखने पर शोध विषय की आवश्यकता एवं सार्थकता स्पष्ट नजर आती है।

शोध कथन

पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयीय दिशासूचकों के प्रति हितधारकों की जागरूकता एवं संवेदीकरण का अध्ययन।

व्यावहारिक शब्दावली

पोक्सो अधिनियम

पोक्सो अधिनियम से अभिप्राय भारत सरकार द्वारा 2012 में लागू किए गए बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम से है।

विद्यालयीय दिशासूचक

राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण आयोग द्वारा विद्यालय प्रशासन द्वारा बच्चे की सुरक्षा एवं बचाव के लिए निर्धारित किए गए दिशानिर्देश।

हितधारक

हितधारकों से अभिप्राय विद्यालय मुखिया, शिक्षकों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों से है।

जागरूकता

जागरूकता से अभिप्राय पोक्सो अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विद्यालयों को जारी किए गए दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी से है।

संवेदीकरण

संवेदीकरण से तात्पर्य विभिन्न हितधारकों की बाल यौन अपराध के प्रति संवेदनशीलता से है।

शोध उद्देश्य

1. हरियाणा में पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयीय दिशासूचकों के प्रति हितधारकों की जागरूकता का अध्ययन।
2. हरियाणा में पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयीय दिशासूचकों के प्रति हितधारकों के संवेदीकरण का अध्ययन।
3. हरियाणा में पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयीय दिशासूचकों के क्रियान्वन की स्थिति का अध्ययन।
4. हरियाणा में पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा विद्यालयों में किए जा रहे प्रयासों का अध्ययन।
5. पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयीय दिशासूचकों के क्रियान्वन को सुनिश्चित एवं सुदृढ़ करने के विभिन्न उपाय सुझाना।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विधियों को मिश्रित रूप से प्रयोग में लाया जायेगा, जिसमें आंकड़ों का संग्रहन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से होगा । प्राथमिक स्रोत में क्षेत्र सर्वेक्षण और व्यक्ति अध्ययन और द्वितीयक स्रोत में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, हरियाणा महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया जायेगा ।

न्यायदर्श

बहुस्तरीय यादृश्च प्रविधि द्वारा न्यायदर्श के रूप में हरियाणा के चार जिलों झज्जर, फ़रीदाबाद, पंचकुला तथा सिरसा के 40 सरकारी तथा 40 निजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया जाएगा। इन विद्यालयों में से कुल 80 विद्यालय मुखिया, 400 शिक्षक, 200 अभिभावक न्यायदर्श के रूप में चुने जाएंगे।

शोध उपकरण

शोध के लिए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों को दिये गए दिशसूचकों पर आधारित एक स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाएगा जिसमें विस्तृत जवाब वाले तथा संक्षिप्त जवाब वाले दोनों तरह के प्रश्न होंगे।

आंकड़ों का विश्लेषण

आंकड़ों के विश्लेषण के लिए उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए व्याख्यात्मक विश्लेषण विधि तथा विषय वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जायेगा।

परिसीमाएँ

1. प्रस्तुत शोध केवल हरियाणा राज्य केcha केवल चार जिलों झज्जर, फ़रीदाबाद, पंचकुला तथा सिरसा तक सीमित होगा।
2. प्रस्तुत शोध केवल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तक सीमित होगा।
3. प्रस्तुत शोध केवल पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयीय दिशासूचकों के प्रति हितधारकों की जागरूकता एवं संवेदीकरण के अध्ययन तक सीमित होगा।

संदर्भ सूची

एनआईपीसीसीडी (2015) हैंड बुक ऑन इम्प्ली मेंटेशन ऑफ पास्को एक्ट,फॉर स्कूल मैनेजमेंट एंड 2012 स्टाफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेव्लपमेंट, हौज़ ख़ास, न्यू दिल्ली

चिल्ड्रेन डिफेंस फ़ंड (2020), द स्टेट ऑफ अमेरिका चिल्ड्रेन 2010:, वाशिंगटन डीसी, रिट्रीवड फ़्राम http://ww38.childrendefense.org/child-research-data-publications/data/state-of-americas-children-2010-report.html

डब्ल्यूएचओ (2020), ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेन्स्ट चिल्ड्रेन,2020 , वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइज़ेशन, जेनेवा

भारती एस (2020), %90ऑफ अब्युजरस आर नॉन टु विक्टिम हाओ :दिस एनजीओ इज प्रेप्पिंग फैमिलीज टु फाइट चाइल्ड सेक्सुयल अब्यूज, रिट्रीवड फ़्राम https://thelogicalindian.com/exclusive/lockdown-child-sexual-abuse-cases-20852

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन (2007), 27th एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअलस विद डिसएबिलिटीज एक्ट,2005 , वाशिंगटन डीसी, ऑफिस ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहबिलिटेटिव सर्विसज